



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 959]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 21, 2016/वैशाख 1, 1938

No. 959]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 21, 2016/ VAISAKHA 1, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2016

**का.आ. 1470(अ).**—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, जिन्हें सा.का.नि. 838, (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किया गया था और जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया था, के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना का. आ.सं. 2836 (अ), तारीख 19.12.2011 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 पर 90.000 कि.मी. से 155.000 कि.मी. तक (97.150 कि.मी. से 98.000 कि.मी. तक को छोड़कर) चार या अधिक लेन के उपयोग के लिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से शुल्क को संग्रहित करने हेतु प्राधिकृत किया था।

अब, केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर यथासंशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा का.आ. 2836 (अ), तारीख 19.12.2011 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

(क) अधिसूचना के पैरा 2 में आए शब्दों और आकड़ों हेतु

मौजूदा के स्थान पर	निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा
सारा-25 के 90.000 कि.मी. से 155.000 कि.मी. तक (97.150 कि.मी. से 98.000 कि.मी. तक को छोड़कर)	सारा-25 के 90.300 कि.मी. से 157.850 कि.मी. तक (97.150 कि.मी. से 98.000 कि.मी. तक को छोड़कर)
सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 36.657 कि.मी.	सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 36.357 कि.मी.

(ख) टिप्पणियों के पैरा-1 में सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी को प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (कि.मी.) जिसके लिए शुल्क संदेय है
140.40 कि.मी. (झांसी जिला में सेमरी गांव के पास)	36.357

(ग) टिप्पणियों के पैरा-2 में सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी को प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (कि.मी.) जिसके लिए शुल्क संदेय है	बाइपास का नाम
140.40 कि.मी. (झांसी जिला)	14.636	झांसी

में सेमरी गांव के पास)	(60 मीटर से अधिक लम्बाई की संरचना को छोड़कर)	
	6.425	चिरगांव
	2.193	सेमरी
	6.700	मोट
<b>योग</b>	<b>29.954</b>	

(घ) टिप्पणियों के पैरा-2 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"2 (क) उपर्युक्त के अतिरिक्त, 60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली निम्नलिखित संरचनाओं के उपयोग के लिए, ऐसी संरचनाओं की लम्बाई की समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध और संदेय होगा:

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिसपर शुल्क संदेय है
140.40 कि.मी. (झांसी जिला में सेमरी गांव के पास)	0.389*	3.890	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

\* संरचनाओं (60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली) का ब्योरा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	चैनेज (कि.मी.)	संरचना का प्रकार	कुल लम्बाई (मीटर)
(i)	92+230	बड़ा पुल	120.000 मीटर
(ii)	96+320	आरओबी	149.105 मीटर
(iii)	101+458	आरओबी	119.500 मीटर
<b>संरचना की कुल लम्बाई</b>			<b>388.605 मीटर (यानि 389.00 मीटर)</b>

[फा.सं. भाराप्रा/13013/सीओ/602/2010-11/जीसी-झांसी (झांसी-पूँछ)]  
लीना नंदन, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 2016

**S.O. 1470(E).**— Whereas, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5<sup>th</sup> December, 2008 and amended from time to time, the Central Government, vide notification S.O. 2836(E) dated 19.12.2011 authorized National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, fee for use of the four and more lanes section from kilometer 90.000 to kilometer 155.000 (Except from km 97.150 to km 98.000) on the National Highway No. 25 in the State of Uttar Pradesh.

Now, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008 and amended from time to time, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification published vide S.O. 2836 (E) dated 19.12.2011.

(a) For the words and figures in Para 2 of the notification:—

In place of existing kilometre 90.000 to kilometre 155.000 (except from km 97.150 to km 98.000) of NH-25	Shall be substituted as kilometre 90.300 to kilometre 157.850 (except from km 97.150 to km 98.000) of NH-25
Net road section length 36.657 km	Net road section length 36.357 km

(b) For the table in Para-1 of Notes, the following table shall be substituted:-

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which fee is payable
Km 140.40 (near Semari village in Jhansi district)	36.357

(c) For the table in Para-2 of Notes, the following table shall be substituted:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length for which fee is payable (km)	Name of bypass
Km 140.400 (near Semri village in Jhansi district)	14.636 (excluding length of structure >60m)	Jhansi
	6.425	Chirgaon
	2.193	Semri
	6.700	Moth
<b>Total</b>	<b>29.954</b>	

(d) After Para-2 of Notes, the following Para shall be inserted, namely:-

“ 2(A) In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following toll plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
Km 140.40 (near Semari village in Jhansi district)	0.389*	3.890	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

\* The details of structures (> 60 m length) are as under:

S.No.	Chainage (km)	Type of structure	Total length (metre)
(i)	92+230	Major Bridge	120.000 m
(ii)	96+320	ROB	149.105 m
(iii)	101+458	ROB	119.500 m
Total length of structure			388.605 m (say 389.00 m)

[F. No. NHAI/ 13013/CO/602/2010-11/ GC- Jhansi (Jhansi-Poonch)]

LEENA NANDAN Jt. Secy.